System Certification
LIBEROASSURA
ISO 9001:2015

उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड
U.P. STATE BRIDGE CORPORATION LIMITED
(ISO 9001: 2015 CERTIFIED COMPANY)
Regd.Off.: Setu Bhawan, 16 Madan Mohan Malviya Marg, Lucknow- 226001, Ph-2205815, 2209792 Fax # 0522-2209798
mail : upsbcltd@gmail.com

Letter No. : 457/CBC/E-Tender/Testing/2025-26 Date 29 - 04-2025

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण विभागीय पद्धति एवं निविदाये आमंत्रित करके किया जा रहा है। **SBD (Amended R-1)** दि0 24.04.2025 द्वारा जारी निविदा प्रपत्र एवं **EPC Mode** के आर्टिकल एवं शेडयूल **R-1** दि0 05.07.2024 द्वारा प्रचलित प्रपत्रो के आधार पर कार्यो के पूर्ण हो जाने के पश्चात गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न सेक्शन एवं शेडयूल के अन्तर्गत टेक्निकल विशिष्टियों के मानकानुसार **Non-Destructive Testing** एवं **Load Testing** का प्राविधान किया गया है, जिस पर आने वाला व्यय अनुबन्ध के अंतर्गत निर्माणाधीन फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। विभागीय पद्धति से बन रहे सेतुओं की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु उपरोक्तानुसार प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

अतः विभागीय पद्धति से बनाये जा रहे समस्त सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात निम्न परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये जाते है:

1. गैर–विनाशकारी परीक्षण (Non-Destructive Testing)

सभी विभागीय पद्धति से निर्मित नवीन सेतुओं (**Major and Minor bridges**) के संरचनात्मक रूप से पूर्ण होने के पश्चात निम्नलिखित गैर–विनाशकारी परीक्षण (**Non-Destructive Testing**) किए जाएंगे:

- रिबाउंड हैमर परीक्षण (**Rebound Hammer Test**)
- अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी परीक्षण (**Ultrasonic Pulse Velocity Test**)

उपरोक्त परीक्षण **IRC Highway Research Board** की **Special Report No-17:1996** में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे। प्रत्येक स्पैन में दो स्थानों (एक सुपरस्ट्रक्चर में एवं एक **सब–स्ट्रक्चर में**) पर परीक्षण किया जाएगा, जिन्हें **यूनिट–प्रभारी** (**Engineer-in-Charge**) द्वारा यादृच्छिक (**Random**) रूप से चयनित किया जाएगा।

2. लोड परीक्षण (Load Testing)

ऐसे समस्त सेतु जिनकी स्पैन की लंबाई 15 मीटर या उससे अधिक है, उनके एक स्पैन का लोड परीक्षण IRC:SP:51-2014 के अनुसार किया जाएगा। यह स्पैन **यूनिट–प्रभारी** द्वारा यादृच्छिक (**Random**) रूप से चयनित किया जाएगा।

उक्त टेस्ट/परीक्षण (गैर–विनाशकारी परीक्षण एवं लोड परीक्षण) पर आने वाला व्यय **यूनिट स्तर पर उपलब्ध ओवरहेड मद** (**Overhead Head**) के अंतर्गत वहन किया जाएगा। सभी परीक्षण रिपोर्टों संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त **CPM/GM** द्वारा अनुमोदित (**approved**) किया जाय। परीक्षण रिपोर्टों के अनुमोदन के पश्चात, संबंधित सेतु का हस्तांतरण (**hand over**) लोक निर्माण विभाग (**PWD**) को किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभावी होगें।

(धर्म वीर सिंह)
प्रबन्ध निदेशक